

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:—नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी अभियंताओं की कैम्पस सलेक्शन/चयन समिति द्वारा नियुक्ति करने के संबंध में।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-62 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए सामान्य नगरपालिका संवर्गों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, का गठन करेगी।

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-3330 दिनांक-17.07.2014 के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 का गठन करते हुए, नगरपालिका संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का सृजन किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में विकास योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन मानव बल के अभाव में कुप्रभावित हो रहा है। साथ ही, प्रक्रियात्मक कारणों से नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगने की संभावना प्रतीत होती है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त शहरी विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कनीय अभियंता के पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों की कैम्पस सलेक्शन (Campus Selection)/चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंताओं की संविदा के आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी। :-

2.1 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं की चयन प्रक्रिया संबंधित शर्तें -

2.1.1 संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रथम चरण में अधिकतम 03 वर्षों के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक, दोनों में से जो पहले हो, के लिए की जाएगी।

2.1.2 नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए विभागीय मंत्री से अनुमोदनोपरान्त अवधि विस्तार दिया जा सकेगा।

2.1.3 संविदा पर नियुक्ति के सन्दर्भ में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपादित आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

2.1.4 उक्त संविदा आधारित कनीय अभियंताओं पर झारखण्ड सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2000 के प्रावधान लागू होंगे।

2.1.5 अनुशासनिक कारणों से सेवा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4684 दिनांक-21.07.2017 द्वारा निर्धारित शारिर्त अधिरोपित की जायेगी।

2.1.6 संविदा पर नियुक्ति के सन्दर्भ में अन्य शर्तें वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प ज्ञापांक-4569 दिनांक-05.07.2002 के प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे।

2.1.7 'झारखण्ड के स्थानीय निवासी' की परिभाषा एवं पहचान में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3198 दिनांक-18.04.2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

2.2 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं की संविदा राशि -

2.2.1 (संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को नियमित रूप से नियुक्त होने वाले कनीय अभियंताओं के लिए अनुमान्य वेतनमान के पे-बैंड के प्रारंभिक प्रक्रम तथा उक्त वेतनमान/ वेतन संरचना के लिए निर्धारित ग्रेड-वेतन और उक्त दोनों के योग पर महंगाई भत्ता (योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा संविदाकर्मी हेतु निर्धारित महंगाई भत्ता), चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता (जहां अनुमान्य हो) के योगफल के फलस्वरूप प्राप्त राशि के समतुल्य नियत राशि मासिक परिलब्धि (संविदा राशि) के रूप में दिया जाएगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता वित्त विभाग के संकल्प सं0 2176/वि0 दिनांक 28.07.2015 के आधार पर अनुमान्य होगा।

2.2.2 योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर संविदा कर्मी हेतु स्वीकृत महंगाई भत्ता अनुमान्य होगा।

2.2.3 उपरोक्त कंडिका 2.2 (2.2.1) एवं (2.2.2) के अलावे अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता यथा मकान किराया भत्ता आदि देय नहीं होगा।

2.3 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के देय सुविधाएँ -

2.3.1 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 12 (बारह) आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश देय नहीं होगा।

2.3.2 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को नियमित कनीय अभियंताओं की भांति अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।

2.4 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के चयन एवं भर्ती पद्धति -

2.4.1 विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कनीय अभियंता की संविदा आधारित नियुक्ति हेतु निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जायेगा :-

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय | -अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग | -सदस्य |
| (iii) | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (iv) | बी0आई0टी0, मेसरा अथवा राज्य के किसी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि | -सदस्य |
| (v) | संबंधित संकाय के विषय विशेषज्ञ | -सदस्य |
| (vi) | क्षेत्रीय स्थापना के प्रभारी अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी | -सदस्य सचिव |

2.4.2 संविदा के आधार पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति निम्न प्रक्रिया से की जायेगी :-

(क) प्रक्रिया -1, कनीय अभियंता के स्वीकृत कुल पद के 50 प्रतिशत पदों पर Campus Selection (कैम्पस सलेक्शन) के तहत अनुशंसा समिति के द्वारा -

कैम्पस सलेक्शन हेतु अनुशंसा समिति निम्नवत होगी :-

- (i) निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय -अध्यक्ष
(ii) मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग -सदस्य
(iii) बी0आई0टी0, मेसरा अथवा राज्य के किसी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय /पोलिटैकनिक के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य
(iv) संबंधित संकाय के विषय विशेषज्ञ -सदस्य
(v) क्षेत्रीय स्थापना के प्रभारी अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी -सदस्य सचिव

(ख) उक्त समिति राज्य के संबंधित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटैकनिक संस्थान से उम्मीदवारों के परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व समन्वय स्थापित कर, मेधा सूची के आधार पर इच्छुक उम्मीदवारों के नाम की मांग करेंगे।

(ग) समिति उक्त अभियंत्रण संस्थानों से भेजे गये अभ्यर्थियों का आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं यथा- न्यूनतम प्राप्तांक, उम्र सीमा, इत्यादि के आधार पर उन अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण करेगी एवं उसके आधार पर कनीय अभियंता की संविदा आधारित नियुक्ति हेतु गठित समिति को अपनी अनुशंसा उपलब्ध करायेगी। चयन समिति प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करने की कार्रवाई करेगी।

प्रक्रिया - 2, कनीय अभियंता के स्वीकृत कुल पद के 50 प्रतिशत पदों पर चयन समिति द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर

(क) कैम्पस सलेक्शन के द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा समिति से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में नियुक्त कनीय अभियंता के पश्चात रिक्त शेष पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति विज्ञापन प्रकाशित करते हुए कनीय अभियंताओं की नियुक्ति करेगी।

(ख) संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं यथा-विज्ञापन प्रकाशन, आरक्षण तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए नियुक्ति की जायेगी।

(ग) विज्ञापन का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम 02 (01 हिन्दी एवं 01 अंग्रेजी) समाचार पत्रों में लगातार 02 दिनों तक विज्ञापित किये जायेंगे।

2.5 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की मुख्य सेवा शर्तें -

- 2.5.1 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।
- 2.5.2 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता पूर्ण रूप से पूर्णकालीन होंगे।
- 2.5.3 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को नगर विकास एवं आवास विभाग अथवा निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवश्यकता अनुरूप एक शहरी स्थानीय निकाय से दूसरे शहरी स्थानीय निकाय में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
- 2.5.4 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं को उनके प्रतिकूल आचरण एवं कृत्यों तथा उनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
- 2.5.5 संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं से अपने कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार प्रशासनिक कार्यों में सहयोग लिया जायेगा। साथ ही विभागीय प्रधान द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों को भी निर्देशानुसार निष्पादित करना होगा, परन्तु इसके लिए संविदा राशि के अलावे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
- 2.5.6 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 2.5.7 नियमित नियुक्ति होने के पश्चात् संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

2.6 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं की पात्रता :-

2.6.1 संविदा आधारित कनीय अभियंताओं की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता एवं अनुभव निम्नानुसार होगी:-

क्र० सं०	अभियंताओं का प्रकार	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अन्य योग्यता
1.	कनीय अभियंता (असैनिक)	किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक से असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा	कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा	कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान
3.	कनीय अभियंता (विद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा	कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान

- 2.6.2 उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं न्यूनतम प्राप्तांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी।
3. प्रस्ताव पर दिनांक-21.11.2017 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/नीति निर्धारण (कैम्पस)-04/2017 न0वि0आ0.7439 राँची, दि0-01.11.2017
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 01/नीति निर्धारण (कैम्पस)-04/2017 न0वि0आ0.7439 राँची, दि0-01.11.2017
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।